# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया** {आर.ए.एस.}

**प्रकरण संख्या : 82/2019**

1. हेमराज पुत्र साईदास जाति अरोडा निवासी चक 57 एफ हाल आबाद वार्ड नं. 13 श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर।
2. रेशमा देवी पुत्री साईदास पत्नि अमरनाथ जाति अरोडा निवासी चक 57 एफ हाल आबाद पालाराम स्कूल के पास वार्ड नं. 16 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर।
3.

--वादी--

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी संख्या 1--

2. जमनादास पुत्र साईंदास जाति अरोडा निवासी 57 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. जगदीश चन्द्र पुत्र साईंदास जाति अरोडा निवासी 57 एफ तहसील श्री करणपुर।

--प्रोर्फोमा प्रतिवादीगण--

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट**

**--निर्णय--** **दिनांक : 07.01.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 15/12 के मुरब्बा न. 26 की 1.265 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 254 के तहत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुई है। उपरोक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी हलका द्वारा सहवन से वादी संख्या 1 का नाम हेमराज की जगह हंसराज व वादी संख्या 2 का नाम रेशमा देवी की जगह रानी दर्ज कर दिया गया है। जो की वादीगण के सही नाम नहीं है। वादी संख्या 1 का सही नाम हेमराज व वादी संख्या 2 का सही नाम रेशमा देवी है। उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाते समय वादीगण द्वारा जो वारिस प्रमाण पत्र पेश किया गया था। उसमें वादीगण के सही नाम हेमराज व रेशमा देवी दर्ज है। वादीगण के तमाम कागजात में वादीगण के नाम हेमराज व रेशमा देवी है। वादीगण उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 254 को दुरूस्त कर अपना सही नाम हेमराज व रेशमा देवी करवाना चाहते है। पटवारी हलका को उक्त विरास्तन इन्तकाल संख्या 254 सही करने को कहा तो पटवारी हलका द्वारा कहा गया कि श्री मान जी से आदेश लेकर आओ। यही विनाय दावा है। उपरोक्त तमाम भूमि राजस्थान सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिए राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्री करणपुर को प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से कोई अनुतोष नहीं चाहिए इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रोर्फोमा पक्षकार बनया गया है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट बाबत दुरूस्त करने राजस्व रिकॉर्ड बर बियान साक्ष्य हर किस्म पेश कर निवेदन है कि विरास्तन इन्तकाल संख्या 254 दुरूस्त किया जाकर वादीगण के सही नाम हेमराज व रेशमा देवी अंकित किये जाने के आदेश दिए जावें।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। साक्ष्यवादी में प्रार्थी हेमराज एवं रेशमा देवी के

ब्यान लिखे गए। व चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता 15/12 प्रदर्श-1, इन्तकाल संख्या 254 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श- 3, हेमराज का आधार कार्ड प्रदर्श-4, रेशमा देवी का आधार कार्ड प्रदर्श-5 प्रदर्शित करवायी।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा अपने वादपत्र में चक 57 की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 15/12 में अंकित नाम हंसराज व रानी की जगह क्रमशः हेमराज एवं रेशमा देवी करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थीगण का नाम आधार कार्ड व वारिसनामा में नाम हेमराज एवं रेशमा देवी है। जमाबन्दी में नाम हंसराज व रानी देवी अंकित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 15/12 में अंकित नाम हंसराज पुत्र साईंदास के स्थान पर हेमराज उर्फ हंसराज पुत्र साईदास एवं रानी देवी पुत्री साईंदास के स्थान पर रेशमा देवी उर्फ रानी देवी पुत्री साईंदास अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ **मूलचन्द लूणिया** आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर



Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.07 12:46:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: